



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	83/2020
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	19.10.2020
G.C.M.S. प्रकरण संख्या	2020/00169
प्रकरण में निर्णय की दिनांक	22.07.2021

उनवान

1	सायरी पत्नि उगमा गूर्जर नि.सुरजपुरा मजरा आमसर तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
---	--

— प्रार्थी/ प्रार्थीगण

बनाम

1	कानसिंह पि.सोदानसिंह भाटी निवासी आमसर तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	रामा पि.नानू गूर्जर नि.माताजी का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3	रामा पि.देवा गूर्जर नि.आमसर तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4	कमला पत्नि तेजू गूर्जर नि.सुरजपुरा मजरा आमसर तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी/अप्रार्थीगण

उपस्थित वकील प्रार्थी/प्रार्थीगण	श्री नरेन्द्रकुमार धाम्बी
उपस्थित वकील अप्रार्थी/अप्रार्थीगण	श्री पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

(1) प्रार्थी/ प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि स्थित है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा
1	आमसर	2075-78	764	5046/4572	1.00
		कुल योग		किता 1	1.00

(2) प्रार्थी/ प्रार्थीगण की आराजियात के सीमा चिन्ह नही होने की वजह से विपक्षीगण के बीच आये दिन विवाद होता रहता है तथा घास काटने और पेड़ों की कटाई छंगायी को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी की आराजियात की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

(3) प्रार्थी / प्रार्थीगण ने विपक्षीगण की सहमति से सीमाज्ञान करवाने के लिये निवेदन किया तो मना कर दिया और प्रार्थी /प्रार्थीगण की आराजियात की सीमा से पेड़ काटने व छंगायी करने, घास काटने हेतु विपक्षीगण अक्सर लड़ाई-झगड़ा करने पर उतार रहते है जिससे विवाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी /प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

(5) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया जायेगा प्रार्थी / अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के नाम की विधिवत रूप से आवाज लेगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश जारी किये हुये है / जारी किये जाते है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

- (6) पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है तथा राज्य सरकार का हित प्रभावित नहीं होने से प्रकरण में जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है।
- (7) वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात की पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत है।
- (8) प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।
- (9) बहस वकील प्रार्थी / प्रार्थीगण पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया एवं पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी / प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः


क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की निम्नांकित कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है -

क्र.सं.	नाम ग्राम	जमाबन्दी संवत	खाता संख्या	आ.नं.	रकबा
1	आमेसर	2075-78	764	5046/4572	1.00
		कुल योग		किता 1	1.00

श्री भू.अ.निरीक्षक आमेसर को 1000/-रु.की फीस पर कमीशर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से मौके पर कमीशर फीस जमा की जाकर इसका अंकन पालना रिपोर्ट मे किया जावे। पत्थरगढी की कार्यवाही दिनांक से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पड़ोसी एवं खातेदारान को उक्त आराजियात की पत्थरगढी की जाने की लिखित सूचना जरिये पत्र समय एवं तिथि के अंकन के साथ दी जाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगणों की उक्त आराजियात की पत्थरगढी उभय पक्षकारान / मौतवीरान की उपस्थिति में कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये मुश्तकिल बिन्दू को आधार मानते हुये की जावे। निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार आसीन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को खुली अदालत में सुनाया गया।



(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आसीन्द

दिनांक 02/08/2021

क्रमांक / रीडर / 46

प्रतिलिपी तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णयानुसार पालना करा पालना रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा